नम्बर व तारीख
अहकाम जो
श्री तामील में जावे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः– 173/2020

निर्णय दिनांक :– 18.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. केसरलाल पुत्र उददालाल जाति कलाल निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
2. देवलाल पुत्र नाथू जाति कलाल निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
3. प्रवीण कुमार पुत्र अम्बालाल जाति कलाल निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
4. कैलाशी पुत्री छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
5. गुलाब पुत्री नानीराम जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
6. गोपाल पुत्र नानीराम जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
7. जसोदा पुत्री छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
8. द्वारका पुत्री छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
9. नर्बदा पुत्री छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
10. नौसी पत्नि छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
11. प्रेम देवी पुत्री छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
12. फेफा देवी पत्नि छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
13. फोरया पुत्री छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
14. बाली पुत्री छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
15. भूला पत्नि नानीराम जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
16. भोजा पुत्र छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
17. मनभर पुत्री छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
18. महावीर पुत्र छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
19. रामधन पुत्र भेंरू जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
20. लक्ष्मण पुत्र छोगालाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
21. लख्खाराम पुत्र भेंरू जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
22. श्योजीराम पुत्र छोटूलाल जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
23. सुन्दर पुत्री भेंरू जाति कहार निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. विकास कुमार पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
2. विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
3. इन्द्रा पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
4. छोटी पत्नि स्व0 लादू जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
5. रामघणी पत्नि शिवराज जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
6. रामपाल पुत्र लादू जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
7. श्योजीराम पुत्र लादू जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।

8. हेमराज पुत्र लादू जाति मीणा निवासी मालेडा तहसील देवली, जिला टोंक।
9. तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली जिला टोंक स्थित है, इसी प्रकार प्रार्थीगण 4 ता 23 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 488 रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली जिला टोंक स्थित है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान पास—पास स्थित है और प्रार्थीगण के आपस मे कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 488 व 495 मे जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नही है, रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण समय पर अपने खातेदारी के खेतो मे बुआई नही कर पा रहे है, प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेतो मे वर्षो से ख0 नं0 498, 500 व 507, 509 के पूर्वी दिशा की तरफ से हमेशा अपने खेतो मे आते जाते रहे है। अपने ट्रेक्टर कृषि संबंधित सामान आदि भी ले जाते रहे है। वर्तमान मे प्रतिपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण का अपने खातेदारी के खेतो मे आना जाना बन्द हो गया है। प्रार्थीगण को अपने खेतो मे आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है इस कारण प्रार्थीगण को ख0 नं0 499, 500 व 509 की पूर्वी मेर पर से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शे मे लाल रंग से अक्षर ए—बी—सी—डी से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा प्रार्थीना पत्र का अभिन्न अंग है। हाल ख0 नं0 509 प्रतिपक्षी नं0 1 ता 2 की बराबर बराबर खातेदारी मे अंकित है तथा ख0 नं0 499 व 500 प्रतिपक्षीगण 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। ख0 नं0 507 सिवायचक है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेतो मे जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है वर्तमान समय काश्त का समय है। खातेदारी के खेतो मे जाने के लिए रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी पेशानियो का सामना करना पड रहा है और प्रार्थीगण के खेत पडत पडे हुए है इसलिये न्यायहित मे संलग्न नक्शो मे दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण से प्रतिपक्षीगण को दिलवाया जाना आवश्यक है, प्रार्थीगण नियमानुसार डी एल सी रेट की दुगनी राशि जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0टि0 एक्त मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र साथ संलग्न नक्शे

ने लाल रंग से व अक्षर ए बी सी डी से दर्शाए गये स्थान पर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावे और राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 9 ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:-प्रार्थी के आराजी तक मौके पर तारबंदी होने से पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौ. 4 मी. व लम्बाई 466 मी. कुल क्षेत्रफल 1864 वर्ग मी. होगी। रास्ते चाहे जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर रूपये 269786/- प्रति है0 की दर से होगी। 1864 वर्ग X 26.98 वर्गमीटर = 50290.72/- रूपये व दुगुनी प्रतिकर राशि 100581.44 रूपये होगी। आवेदित आराजी भूमि खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति से खसरा नं0 521/1.20 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा नं0 515/2.21 है0 सिवायचक व खसरा नं0 499 व 495 खातेदारी की भूमि में है जिसमें लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित भूमि के मध्य पेड़ व कोई पक्की संरचना नहीं है। अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रस्तावित रास्ता भूमि अब्दुल रहमान से प्रभावित भूमि नही है। अतः नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस दो प्रतिया मौका रिपोर्ट, डीएलसी की छायाप्रति व निर्धारित प्रपत्र प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। ।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है, अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनकी मूक सहमति है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है परन्तु तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार चाहा गया रास्ता दिया जाना संभव नही है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की चौडाई 4 मी0 एवं कुल लम्बाई 466 मी0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 1864 वर्ग मी0 है, जिसकी

डीएलसी दर 269786/– रूपये प्रति है0 है। कुल क्षेत्रफल 1864 वर्ग मी0 के लिए जिसकी एक गुना राशि 50290.72 रू0 एवं दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 100581.44 रू0 जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे। बाद पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली